

पश्चिम मध्य रेल ने सितम्बर माह में यात्री आय में 25 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ 103 लाख यात्रियों ने सफर किया

जबलपुर। पश्चिम मध्य रेल के जबलपुर, भोपाल एवं कोटा मंडलों में यात्री यातायात से प्राप्त राजस्व एवं यात्रियों की संख्या में निरंतर वृद्धि दर्ज की जा रही है। महाप्रबंधक के मार्गदर्शन, प्रमुख मुख्य विभागाध्यक्षों के निर्देशन तथा तीनों मंडलों के वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में पश्चिम मध्य रेल ने चालू वित्त वर्ष के सितम्बर माह में यात्री यातायात से 258 करोड़ 59 लाख रुपये का ऑरिजिनेटिंग राजस्व अर्जित एवं 103 लाख 21 हजार यात्रियों ने सफर किया है।

सितम्बर माह में आरक्षित टिकटों से 191 करोड़ 97 लाख रुपये तथा अनारक्षित टिकटों से 66 करोड़ 62 लाख रुपये सहित कुल 258 करोड़ 59 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। यह पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि में अर्जित 207 करोड़ 48 लाख रुपये की तुलना में 24.63 प्रतिशत अधिक है।

इस अवधि में पश्चिम मध्य रेल से कुल 103 लाख 21 हजार यात्रियों ने यात्रा की, जिसमें 29 लाख 71 हजार आरक्षित तथा 73 लाख 50 हजार अनारक्षित यात्री शामिल हैं। यात्रियों की कुल संख्या पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 9.76 प्रतिशत अधिक रही।

मंडलवार यात्री आय

सितम्बर माह में ऑरिजिनेटिंग यात्री राजस्व में भोपाल मंडल का 101 करोड़ 62 लाख रुपये, जबलपुर मंडल का 96 करोड़ 82 लाख रुपये तथा कोटा मंडल का 60 करोड़ 15 लाख रुपये का योगदान रहा।

अप्रैल-सितम्बर में यात्री आय में 9.69 प्रतिशत की वृद्धि

इसी प्रकार वित्त वर्ष 2026-27 के प्रथम छह माह अप्रैल से सितम्बर के दौरान पश्चिम मध्य रेल ने यात्री यातायात से अब तक 1409 करोड़ 83 लाख रुपये का ऑरिजिनेटिंग राजस्व अर्जित किया है। यह पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि में प्राप्त 1285 करोड़ 32 लाख रुपये की तुलना में 9.69 प्रतिशत अधिक है।

इस अवधि में आरक्षित एवं अनारक्षित सहित कुल 614 लाख 15 हजार यात्रियों ने यात्रा की, जो गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 4.35 प्रतिशत अधिक है।

यात्री सुविधाओं और यातायात को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास

यात्री यातायात को और अधिक सुगम एवं सुविधाजनक बनाने के लिए पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा लगातार प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। इनमें शामिल हैं —

- * यात्रियों की मांग के अनुरूप स्पेशल ट्रेनों का संचालन तथा उनकी अवधि का विस्तार।
- * ट्रेनों में स्थायी एवं अस्थायी रूप से अतिरिक्त कोच लगाए जाना।
- * प्रतीक्षा सूची को कम करने एवं अधिक यात्रियों को कन्फर्म बर्थ उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त कोचों की व्यवस्था।
- * यात्रियों की सुविधा एवं मांग के अनुरूप नए ठहराव प्रदान करना तथा प्रायोगिक ठहराव की अवधि बढ़ाना।